न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/572

मिसल नम्बर– 83 / 2025

1.सुशीला बाई आयु 67 वर्ष पत्नि कैलाशचन्द जी

2.कैलाशचन्द आयु 73 वर्ष पुत्र कल्याणमल जी निवासीगण मकान न० 35 बालाजी टाउन खेडली कोटा, राज० मो०न०– 9799039410 फाटक कोटा जिला

– प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. राहुल आयु 23 वर्ष पुत्र दिनेश जी जाति मीणा
2. नीशु उर्फ नीरज मीणा आयु 18 वर्ष पुत्र दिनेश जी
3. दिनेश आयु 45 वर्ष पुत्र कैलाशचन्द
4. गुडडीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी दिनेश

निवासीगण मकान न०35 बालाजी टाउन, खेडली फाटक, कोटा, जिला–कोटा, राज०

........अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/3/26

उपस्थिति:–

1.श्री मुकेश लोधा प्रार्थीगण अधिवक्ता

2.श्री राकेश प्रजापति अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मकान न० 35 बाला जी टाउन खेडली फाटक कोटा जिला कोटा के निवासी है तथा वृद्ध व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहते है। प्रार्थीगण के तीन पुत्र नन्दकिशोर, दिनेश व दिलीप है, जिनमें से पुत्र दिलीप का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 पौत्र है तथा क्रम 3 व 4 पुत्र व पुत्रवधु है, जो प्रार्थीगण के मकान में निवास करते हैं। प्रार्थीगण का ज्येष्ठ पुत्र नन्दकिशोर के द्वारा ही प्रार्थीगण की सेवा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

चाकरी इलाज आदि तथा खाना पीने की व्यवस्था की जाती है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के मकान में आये दिन क्लेश विकार किया जाता है तथा आये दिन मारपीट व गाली गलौच की जाती है, जिससे प्रार्थीगण काफी भयभीत रहते तथा उन्हें डर बना रहता है।

अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 शराबी है जो आये दिन प्रार्थीगण के मकान में शराब पार्टी करते है तथा बाहर के व्यक्तियों को बुलाकर शराब पीते व पिलाते है तथा प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण गाली गलोच व मारपीट करते हैं। धमकी देते है कि इस घर को खाली करके किराये का मकान लेकर बाहर रहने लग जाओ, इस सम्पूर्ण मकान में तो सिर्फ हम ही रहेगे। घर को खाली कर, नहीं निकलने पर, जान से मारने की धमकी देते है, जबकि जिस मकान में अप्रार्थीगण निवास करते है, उक्त मकान प्रार्थी क्रम 1 व 2 ने स्वयं की कमाई से खरीदकर बनाया है तथा उक्त मकान पर प्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा मकान का निर्माण करवाया तथा उसमें विधुत कनेक्शन लिया गया, विधुत कनेक्शन भी प्रार्थीया क्रम 1 के नाम से है।

अप्रार्थीगण की नीयत में खोट पैदा हो चुकी है तथा प्रार्थीगण को डरा धमका कर उन्हें उनके ही खरीद शुदा मकान से वेदखल करने पर आमादा है जबकि उन्हें इस प्रकार का कृत्य करने का कोई कानूनन कोई अधिकार नहीं है, जबकि प्रार्थी क्रम 1 व 2 को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने स्वर्जित मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करे। अप्रार्थीगण का इरादा बदला हुआ है, वे किसी भी बडी घटना को प्रार्थीगण के साथ अन्जाम दे सकते है, यहाँ तक कि प्रार्थीगण को खाने पीने व उनके इलाज आदि में किसी तरह का सहयोग अप्रार्थीगण के द्वारा नही किया जाता है जबकि वृद्ध माता पिता के भरण पौषण की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की है।

प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के द्वारा मारपीट की गई है व जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में करवाई गई है, जिसकी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है, प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की क्रूरता से बहुत ही ज्यादा तंग व परेशान हो चुके है, इसलिये प्रार्थीगण की जान माल की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को स्वर्जित मकान से बेदखल करना आवश्यक हो गया है। चूंकि अप्रार्थी प्रार्थीगण की वृद्धावस्था में किसी तरह के खाने पीने व बीमारी की हालात में इलाज कराने में मदद नहीं करते है तथा किसी भी तरह की अन्य कोई मदद नहीं करते है, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने रिहायशी मकान से अप्रार्थीगण जिस क्रम रे में निवास करते है, उक्त कमरो को खाली करवाकर तथा अप्रार्थीगण को अपने घर से बेदखल कर, कमरो को किराये पर देकर, अपने जीवनयापन का जरिया बनाना चाहते है। प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लिये आवश्यक हो गया है कि वे अप्रार्थीगण से जिन कमरो में वह निवास कर रहे है, कमरे खाली कराकर प्रार्थीगण को क्रम रो का कब्जा भी सम्भलाया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल कर, कमरो को खाली करवाकर, प्रार्थीगण को कब्जा सम्भलाया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से उक्त मकान खरीद नही किया जाकर अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बडे भाई नन्दकिशोर व छोटे भाई दिलीप व अप्रार्थी क्रम– 3 द्वारा सम्मिलित रूप से बराबर–बराबर भाग में राशि अदा कर सम्मिलित रूप से प्लाट संख्या 35 पैमायशी 30 इंटु 50 का अपने व अपने परिजनो के निवास हेतु क्रय किया गया था। भविष्य में उक्त भुखण्ड के मालिकाना हक व अधिकार के सम्बन्ध में सगे भाईयो में भविष्य में किसी भी प्रकार से वाद विवाद न हो इस कारण प्रार्थीया क्रम– 1 के नाम से श्री रामगोपाल पुत्र श्री जीवन लाल जी से खरीद किया गया था। उक्त भुखण्ड के समस्त असल दस्तावेज भी प्रार्थीया क्रम 1 के पावर पजेशन में है।

अप्रार्थीगण व उसके ज्येष्ठ भ्राता व अनुज भ्राता अपनी अपनी सामर्थ्य अनुरूप सेवा सुश्रूषा व देखभाल करते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से किसी भी प्रकार से गृह क्लेश व गाली–गलौच तथा मारपीट नहीं करते है बल्कि अपने बडे–बुर्जुगो का यथोचित मान सम्मान करते है। प्रार्थीगण द्वारा कपोल कल्पित कथनो का अंकन मात्र किया है। यहा यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण एक तरफ तो यह कहते है कि सम्पूर्ण परिवार अपनी पत्नि व बच्चो के साथ निवास करते है तथा दूसरी तरफ यह कहते है कि बाहरी व्यक्तियो को बुला कर शराब पार्टी करते हैं। यहा यह कहना भी अतिशयोक्ति नही होगा कि उक्त दोनो कथनो में विरोधाभाष है कि एक जगह जहाँ परिवार अपनी पत्नि व बच्चो के साथ निवास करते चले आ रहे हो वहाँ पर अन्य दीगर व्यक्तियो का कैसे व किस प्रकार जमावडा हो सकता है।

अप्रार्थीगण इस चरण में यह भी कहना चाहते है कि अप्रार्थीगण व उनके भाईयो तथा प्रार्थीगण ने मिलकर उक्त भुखण्ड संयुक्त रूप से सम्मिलित रहने हेतु ही खरीद किया है तथा उक्त मकान के निर्माण भी सम्मिलित रूप से करवाया गया है तथा मकान जिस व्यक्ति के नाम हो वो ही अपने नाम से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। अप्रार्थीगण स्वयं ही अपने परिवार व भाई–भाभी व बच्चो को साथ एकजुट होकर परिवार के मान सम्मान को बरकरार रखना चाहते तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहते है तथा उक्त भुखण्ड सम्मिलित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रूप से क्रय किया है। मात्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण पर दबाव बनाने व बनावटी कहानी गढकर मात्र दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित करने की नियत से पुलिस थाने में झूठी शिकायते दी है जिनका वास्विकता से कोई भी सम्बन्ध नही है तथा अप्रार्थीगण का भी शेयर निहित है तथा अपना व अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने का अधिकार प्राप्त नही है। उक्त तथाकथित मकान के संम्बध में स्पष्ट रूप से स्वामित्व व मालिकाना हक व अधिकार के सम्बंध टाईटल क्लियर नही होने की स्थिति तक तथा श्रेत्राधिकार प्राप्त सम्बंधित न्यायालय से बिना ड्रिकी प्राप्त किये अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने का प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त नही होने से उक्त मकान खाली नही करवाया जा सकता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यो व बनावटी होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय अप्रार्थीगण के पक्ष में उचित समझे प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेज बिजली, पानी के बिल, इकरार नामा प्रति, मुख्तार नामा प्रति, जिला कलेक्टर कोटा का प्रार्थना पत्र, उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 शराबी है जो आये दिन प्रार्थीगण के मकान में शराब पार्टी करते है तथा बाहर के व्यक्तियों को बुलाकर शराब पीते व पिलाते है तथा प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण गाली गलोच व मारपीट करते है। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से उक्त मकान खरीद नही किया जाकर अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बडे भाई नन्दकिशोर व छोटे भाई दिलीप व अप्रार्थी क्रम– 3 द्वारा सम्मिलित रूप से बराबर–बराबर भाग में राशि अदा कर सम्मिलित रूप से प्लाट संख्या 35 पैमायशी 30 इंदु 50 का अपने व अपने परिजनो के निवास हेतु क्रय किया गया था। केवल मात्र अप्रार्थीगण पर दबाव बनाने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के कथनों का बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है और ना ही अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश किया है जिससे अप्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास किया जा सके। प्रार्थीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में जिला कलेक्टर कोटा एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। पत्रावली में संलग्न इकरार नामा प्रति एवं बिजली, पानी के बिल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मकान न० 35 बालाजी टाउन खेडली कोटा, राज० प्रार्थीगण की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीगण अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके प्रार्थीगण को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीगण के स्वामित्व वाले मकान न० 35 बालाजी टाउन खेडली कोटा, राज० को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी भीमगंजमण्डी कोटा को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ...30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा